

राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/ले.टे./ /2018/ 217

दिनांक : 5/4/18

आदेश

राज्य में मोबाईल फुड टेस्टिंग लेबोरेटरी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न कर्मचारियों को कार्यसम्पादन हेतु नोडल अधिकारी (एफएसएसए) एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन अग्रिम आदेशों तक तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन स्थान
1.	श्री सतीश चन्द गुप्ता, लैब टेक्नीशियन	एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर
2.	श्री प्रदीप शर्मा, लैब टेक्नीशियन	एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर
3.	श्री मूल चन्द मीणा, वाहन चालक	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम
4.	श्री पूरण मल मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(प0क0), जयपुर-प्रथम

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज. जयपुर।

दिनांक 5/4/18

क्रमांक:- ई-33/ले.टे./ /2018/ 217

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
3. नोडल अधिकारी (एफएसएसए) एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0)मुख्यालय।
4. नोडल अधिकारी (माईक्रोबायोलोजिकल लेबोरेटरी/एमएफटीएल) एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर
5. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर को भेज कर लेख है कि संबंधित कर्मचारियों को अविलम्ब संबंधित अधिकारी को उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करे।
6. अधीक्षक, एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जयपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर -प्रथम।
9. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(प0क0), जयपुर-प्रथम को भेज कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को अविलम्ब संबंधित अधिकारी को उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करे।
10. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम को भेज कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को अविलम्ब संबंधित अधिकारी को उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करे।
11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
12. संबंधित कर्मचारी को अविलम्ब पालनार्थ द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
13. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज. जयपुर।